डॉ संजय शर्मा

UGC Approved Journal No : 40957
ISSN 0974 - 7648

JIGYASA

An Interdisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

जिज्ञासा

Chief Editor :
Indukant Dixit

Executive Editor :
Shashi Bhushan Poddar

Editor :
Reeta Yadav

UGC Approved Journal No – 40957
(IIJIF) Impact Factor- 4.172
Regd. No. : 1687-2006-2007
ISSN 0974 - 7648

J I G Y A S A

AN INTERDISCIPLINARY PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Chief Editor : *Indukant Dixit*

Executive Editor : *Shashi Bhushan Poddar*

Editor
Reeta Yadav

Volume 12 April 2019 No. IV

Published by
PODDAR FOUNDATION
Taranagar Colony
Chhittupur, BHU, Varanasi
www.jigyasabhu.blogspot.com
www.jigyasabhu.com
E-mail : jigyasabhu@gmail.com
Mob. 9415390515, 0542 2366370

JIGYASA, ISSN 0974-7648, Vol. 12, No. IV, April 2019

Contents

- **समकालीन कविता का संवेदना पक्ष** — 243-247
  डॉ. अविनाश कुमार, एम.ए., पीएच.डी. (हिन्दी), बी.आर.ए.बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
- **वैदिक कालीन कृशि का अध्ययन** — 248-254
  सुमरजीत कुमार सिन्हा , नवरंगा, अमनौर जिला-सारण, बिहार
- **कौटिल्य के सोच व सरोकारों में उपाश्रित वर्ग के रूप में स्त्री (शूद्र स्त्री के विशेष संदर्भ में)** — 255-259
  संजय शर्मा, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ.प्र.
- **भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्त्व** — 260-264
  डॉ. गुलाम रब्बानी, समस्तीपुर (मथुरापुर) बिहार
- **अम्बेडकर और उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक विचार** — 265-269
  डॉ. अजय यशराज, इतिहास विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्रपफरपुर
- **बिहार राज्य के गया जिला में महिला सशक्तिकरण : एक भौगोलिक अध्ययन** — 270-275
  रामानुज चौधरी, शोधार्थी, भूगोल विभाग (UGC-RGNF) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
- **बिहार के जिलों में मानव स्वास्थ्य में स्थानिक असमानता** — 276-288
  अल्पना कुमारी, शोधार्थी, भूगोल विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
- **कालिदासस्य सौन्दर्यतत्वम्** — 289-291
  प्रिया सिंह, शोधच्छात्रा, व्याकरण विभाग, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
- **जनसंख्या वृद्धि एवं आहार उपलब्धता : बिलासपुर जिला का एक प्रतीक अध्ययन** — 292-296
  डॉ. संजीव सौरभ(भूगोल), जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (सारण), बिहार
- **प्राचीन भारतीय भू-स्वामित्व व्यवस्था** — 297-304
  Dr. Sukirti Kumari, A.I.H & ARCH Patna University, Patna
- **विवेकानंद के परम सत् संबंधी विचार** — 305-307
  डॉ. दिवाकर कुमार कश्यप, UGC-NET-/JRF- Philosophy, UGC- ET/JRF-Comprative Studies Of Religion, UGC-NET - Budhhist, Jaina, Gandhian And Peace Studies

कौटिल्य के सोच व सरोकारों में उपाश्रित वर्ग के रूप में स्त्री (शूद्र स्त्री के विशेष संदर्भ में)

*संजय शर्मा**

प्राचीन भारतीय चिंतन व संस्थाओं के साहित्यिक स्रोतों में वेद पुराण, धर्मसूत्रों, मनुस्मृति, शुक्रनीति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कामन्दकीय नीतिशास्त्र, रामायण, महाभारत व कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्त्वपूर्ण हैं। इन ग्रन्थों से तत्कालीन भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार व संस्थाओं का ज्ञान होता है। इन पुस्तकों में निहित विचारों के बारे में पश्चिमी विचारकों की दो राय है – प्रथम मैक्समूलर, ब्लूमफील्ड व डनिंग तर्क रखते हैं कि इन पुस्तकों में राजनीतिक चिंतन का अभाव है। यह पुस्तकें धर्मशास्त्र, आध्यात्मवाद की ओर उन्मुख हैं इनमें राष्ट्रीयता का तत्त्व नहीं है। इन पर 'ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है। द्वितीय – मैक्सी और गैरिल जैसे आधुनिक विचारक इस तर्क को खारिज करते हैं और बताते हैं कि यह पश्चिमी विचारकों का पूर्वाग्रह है। इन लोगों ने प्राचीन हिन्दू राजनैतिक विचारों के प्रति सौतेला व्यवहार रखा। कौटिल्य की पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में निहित विचारों पर गौर करें तो शूद्र व स्त्री के प्रति उनकी सोच व सरोकार उचित प्रतीत नहीं होते। कौटिल्य ने इनको प्रभुत्त्व वर्ग पर आश्रित किया और इनको सेवक माना। इनकी स्त्री विषयक दृष्टि नारी जीवन को गरिमामय, बराबरी, स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भर, चुनाव की स्वतन्त्रता से युक्त नहीं कर सकती। कौटिल्य से पूर्व के 'स्त्री' संबंधी मतों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि वे भी ब्राह्मणग्रन्थों में निहित 'पितृसत्ता' को अपने विचारों से वैधता प्रदान करते हैं। शोधपत्र में 'कौटिल्य के सोच व सरोकारों में उपाश्रित वर्ग के रूप में स्त्री (विशेषकर शूद्र स्त्री) का अध्ययन किया गया है। शोध ऐतिहासिक है। शोध की पद्धति ऐतिहासिक व तुलनात्मक है। इस शोध पत्र में द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है।

इक्कीसवीं सदी के इस उच्च सूचना प्रौद्योगिकी के युग में आधी आबादी अपने अधिकारों से वंचित है। नारी जीवन को विषाक्त बना रही यौन हिंसा, बलात्कार, दहेज प्रथा, जिंदा जलाना जैसी कुप्रथाओं ने उसके विकास पर सवालिया निशान लगा दिया है। 'बाप', 'भाई', व 'खांप' की भूमिका नकारात्मक है। भारतीय समाज, राजनीति, अर्थ व साहित्य में हाशिए पर धकेली गयी अस्मिताओं ने संघर्ष किया है। इसका हालिया उदाहरण 'दिल्ली निर्भया कांड' है। स्त्रियों ने 'नारीवादी विचारधारा व आन्दोलनों' ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो रचित, स्थापित राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक मुहावरों के माध्यम से समझे और सुलझाए नहीं जा सकते। 'स्त्रियों को

---

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ.प्र.

न्याय, अधिकार व समानता के साथ संरक्षण की दरकार है।' इससे दो मकसद पूरे होंगे – पहला, समतायुक्त समाज अस्तित्व में आएगा, जो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संतुलन कायम करेगा। दूसरा, हरेक मानव को अपनी क्षमता को सामने लाने और व्यक्तित्व को माजने का अवसर मिलेगा। आधी आबादी की क्षमता से वंचित मानवता उसका पूरा लाभ ले पायेगी। तीसरा, देश के ग्रन्थालयों, ऑन लाइन माध्यमों, सड़क साहित्य स्टालों पर कौटिल्य के बारे में भ्रमित करने वाले साहित्य की बाढ़ है, अध्ययन से तथ्य और मिथ के बारे में जानकारी मिलेगी।

India Tv (13 Aug. 2020), लवली निहालिया (2020), अनिल कुमार मिश्र (2016), Hindi SpeakingTree.in (5 Feb, 2015), कीर्ति चौधरी झा (2015), अनामिका (2014) व वी०एन० सिंह, जनमेजय सिंह (2013) ने कौटिल्य के नारी विषयक विचारों का अध्ययन किया है। इनके अध्ययनों से पता चलता है कि नारी के स्वभाव, विवाह व चिंतन के संदर्भ में कौटिल्य का मत उचित नहीं है।

उपाश्रित वर्ग समाज का उपेक्षित वर्ग है। "कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसका अर्थ है, 'निम्न श्रेणी का व्यक्ति'"[1] सामाजिक विज्ञानों में उपाश्रित वर्ग की अवधारणा नवीन है। यह उन लोगों की ओर इंगित करता है जो जाति, वर्ग, लिंग, आयु या किसी अन्य आधार पर दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसमें एक शासक और दूसरा शासित की भूमिका में होता है। एक शोषक तो दूसरा शोषित होता है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग इटली के विचारक एंटोनियो ग्रामसी (1991–1937) ने किया। कोष्टक का यहां रखने की कृपा करें। "ग्रामसी के अनुसार किसी भी समाज के शासक वर्ग (Ruling Classes) जिन वर्गों पर अपने प्राधान्य (Hegmony) का प्रयोग करते हैं उन्हें 'उपाश्रित वर्ग' कहा जाता है।"[1] (ग्रामसी मूल रूप से मानवतावादी (Humanist) था, जो सभी संस्थाओं के जनतन्त्रीकरण (Democratization) का समर्थक था) उपाश्रित वर्ग का प्रमुख लक्षण 'सामाजिक पराधीनता' है। अब यह अवधारणा विस्तार पा रही है खासकर उन देशों में जो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पा चुके हैं। अब 'किसी समाज में जो भी समूह जाति (Caste), वर्ग (Class), आयु (Age), लिंग (Gender), पद (Office) या किसी अन्य आधार पर दूसरे के अधीन (Subordinate) हो उन्हें 'उपाश्रित वर्ग' मान लेना चाहिए।'[2]

ब्राह्मणवाद एक प्रभुत्वयुक्त विचारधारा है। 'उपनिषद अस्तित्व में आई इस विचारधारा को स्मृतियों, धर्मशास्त्रों ने दैवीय आधार प्रदान किया।'[3] 'गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मणों के कृपापात्र होने पर ही क्षत्रियों की समृद्धि संभव है। देवताओं, पितरों और लोगों की रक्षा हेतु ब्राह्मण एवं क्षत्रिय संगठित हुए। यह बात बोधायन एवं वशिष्ठ के सूत्र से ज्ञात होती है।'[4] इस विचारधारा ने कर्मवाद, जातिवाद, आत्मवाद, पितृसत्तावाद आदि विचारधारक उपस्करों के माध्यम से यहाँ के किसानों, मृत्तिकारों, शूद्रों व

नारी को नियंत्रित करने में राज्यसत्ता की सहायता की।

कौटिल्य को विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, शास्त्र धारगत, नीति–निपुण राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य के जन्म समय, मृत्यु अर्थशास्त्र की रचना तिथि व अर्थशास्त्र के अस्तित्त्व के बारे में विवाद है। 'अनुमानतः उनका जन्म ईसा से 360 वर्ष पूर्व हुआ होगा। कुछ विद्वान उनका जन्म 400 ई० पूर्व भी मानते हैं। इसी प्रकार चाणक्य के जन्म स्थान के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म कुसुमपुर, कुछ तक्षशिला और कुछ पाटलीपुत्र बताते हैं।'[5] सभी विद्वान इस बारे में एक राय रखते हैं कि उन्होंने मौर्य वंश को स्थापित करने और चन्द्रगुप्त को राजा बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके देहान्त के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी ऐतिहासिक ग्रन्थों से प्राप्त नहीं होती है। अर्थशास्त्र एक प्राचीन पुस्तक है जिसका रचनाकार कौटिल्य है। 'नीति सार में कौटिल्य के आठ नामों वात्स्यायन, मल्लनाग, कौटिल्य, चाणक्य, द्रमिल पक्षिलस्वामी, वराणक और गुल'[6] का उल्लेख है।

भारतीय इतिहास के उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों से इस बात का पता चलता है कि 'चन्द्रगुप्त 321 ई० पूर्व में सिंहासन पर आसीन हुआ व अशोकवर्धन 296 ई० पूर्व में सिंहासनारूढ़ हुआ। जिससे ज्ञात होता है कि इस पुस्तक की रचना 321 ई० पूर्व और 300 ई० पूर्व के बीच किसी काल में हुई होगी।'[7]

इस समय में असमानता से युक्त सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी जो अमानवीय थी। 'स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी, यहाँ तक कि वैदिक धर्म का विरोध करने वाले बुद्ध भी स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं थे। जब आनंद के आग्रह पर उन्हें अनुमति देनी पड़ी तो उन्होंने कई ऐसे नियम बना दिए जो लिंग–आधारित भेदभाव के मुँह बोलते उदाहरण हैं।'[8]

कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण व 160 प्रकरणों में विभाजित है। गद्य और पद्य दोनों से मिश्रित सूत्रात्मक शैली में लिखे गये इस ग्रन्थ के 15 अधिकरणों में राजा के कर्त्तव्य गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शत्रु को अपने पक्ष में करने के उपाय, जादू–टोना, धोखेबाजों से सावधान रहने की युक्ति, सन्धि व अर्थ की विवेचना की गयी है। कौटिल्य के विवाह, उत्तराधिकार, दंड, स्त्री स्वभाव संबंधी मतों में स्त्री के प्रति पूर्वाग्रह मौजूद है। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के साथ–साथ स्त्री और शूद्र स्त्री के बीच भी भेद किया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्ण व्यवस्था में चार जातियों का उल्लेख है – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। शूद्र सबसे निम्न पायदान पर है। इसके ऊपर तमाम सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रतिबंधों का आरोपण किया गया है।

कौटिल्य के विचारों में नारी के तीन रूप है – 'आम गृहस्थ नारी', 'दासी' व वेश्या।'[9] कौटिल्य के विवाह, अर्थ, सम्पत्ति, दासी, गणिका संबंधी विचार पुरुष पूर्वाग्रह से प्रेरित है। कौटिल्य ने आठ प्रकार के विवाह बताये हैं – ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव, गांधर्व, आसुर, राक्षस व पैशाच। क्रमशः चार प्रकार के विवाह को वे धर्म के अनुकूल मानते हैं क्योंकि ये 'पिता की अनुमति

से होते हैं।'[10] अन्तिम चार विवाहों को भी वह मान्यता देते हैं। अनिल कुमार मिश्र कहते हैं, "कौटिल्य ने लड़की खरीदने (आर्ष विवाह), उसके अपहरण (पैशाच विवाह) आदि को मान्यता देकर सामाजिक समझौते व अपराध को एक ही स्तर पर ला दिया है, जो स्पष्टतः नारी के मानवाधिकारों का हनन है।"[11] धर्म के अनुकूल सम्पन्न विवाह में वह विच्छेद नहीं चाहते है। वह विवाह व्यवस्था को वर्णों के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि, 'ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य में विवाह के उपरान्त विच्छेद नहीं हो सकता। शूद्र स्त्री–पुरुष एक दूसरे को छोड़ सकते हैं।'[12] कौटिल्य पुरुषों को पुनः विवाह करने की अनुमति देते हैं दो स्थिति में – प्रथम 'स्त्री से पुत्र पैदा न हो तो'[13], दूसरा उसको धन देकर। वह बताते हैं, 'स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती है।'[14] कौटिल्य 'पर पुरुष से बात करने वाली स्त्री को ग्राम के मध्य शरीर के एक ही स्थान पर चंडाल से कोड़े लगवाने की बात करते हैं। वह पुरुष को भी कोड़े लगाने की बात करते हैं, लेकिन ग्राम के मध्य नहीं।'[15] कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्त्री को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं देता है। वह कहते हैं, 'स्त्री भिखारी को पति से पूछे बिना भिक्षा दे दे तो उसको बारह पण का दंड दिया जाये।'[16]

कौटिल्य कहते हैं, 'जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो, उसको राजा ले ले, चाहे मृतक की विधवा, जीवित ही क्यूँ न हो।'[17] कौटिल्य के उत्तराधिकार संबंधी नियमों में जाति भेद मौजूद है। वह बताते हैं कि ब्राह्मण की चारों वर्ण की पत्नियाँ हो तो उनके पुत्रों को वर्ण व्यवस्था के स्तरीकरण के अनुसार सम्पत्ति दी जाय। उनके अनुसार, 'यदि ब्राह्मण की चार पत्नियाँ अलग–अलग वर्ण की हो तो ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र को चार भाग, क्षत्रिय पत्नी के पुत्र को तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्र को दो भाग और शूद्र पत्नी के पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए।'[18] 'शूद्र सन्यासिनी' के प्रति कौटिल्य जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वह कहता है, 'वह व्यक्ति दंड का भागी है जो पड़ोसी ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे को श्राद्ध आदि के लिए आमंत्रित करे तो उससे 12 पण का दंड दिया जाय। यदि कोई बौद्ध भिक्षुओं व शूद्र जाति की सन्यासिनी को यज्ञ आदि देवकर्मों तथा श्राद्ध आदि में भोजन कराए तो उसे 100 पण का दंड दिया जाय।'[19]

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में स्त्री विषयक विचारों पर गौर करें तो यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने से पूर्व के विचारों को स्वीकार किया। इन्होंने स्त्रियों को विवाह की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति का अधिकार प्रदान नहीं किया। इनके दंड विधान में स्त्री–पुरुष भेद विद्यमान हैं वह पुरुष को अपराध के सापेक्ष कम और स्त्री को अपराध के सापेक्ष अधिक दंड प्रदान करते हैं। प्रत्येक स्त्री व पुरुष को विवाह में चुनाव की आजादी होनी चाहिए। सम्पत्ति में उनकी हकदारी होनी चाहिए। कानूनों की नजर में सभी समान होने चाहिए। कौटिल्य ने शूद्र स्त्री व ब्राह्मण स्त्री के बीच भेदकर शूद्र स्त्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए।

इन विचारों से आज ही हमारा समाज मुक्त नहीं हो सका। स्त्री को हीनतम माना जाता है। उमा चक्रवर्ती कहती हैं 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के ढाँचे, पितृसत्ता में परम्परागत और क्षेत्रीय असमानताओं तथा पैतृकवादी विचारधाराओं को आज संविधान में उल्लिखित जनतान्त्रिक व समाजवादी विचारधाराओं व

कायदे कानूनों से कड़ी चुनौती मिल रही है।'[20] आज इस बात की अपरिहार्यता है कि इस तरह के विचार समाज के चलन से बाहर हों। इन विचारों के प्रकाश में स्त्री की व्याख्या न हो तब जाकर स्त्रियाँ ही इस तरह के विचारों के प्रभाव से मुक्त हो पायेंगी।

संदर्भ सूची :

1. ओम प्रकाश गाबा, 'राजनीति–सिद्धान्त की रूपरेखा' (नोएडा, मयूर पेपर बैक्स : 2006) पृ० 333
2. वही
3. वही
4. सेवा सिंह, 'ब्राह्मणवाद और जन विमर्श' (पंचकूला हरियाणा, आधार प्रकाशन : 2012), पृ० 13
5. मनुस्मृति, 4.61
6. अनिल कुमार मिश्र, 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' (दिल्ली, प्रभात प्रकाशन : 2016), pdf
7. वही
8. वही, पृ० 9
9. वही, पृ० 16
10. वही
11. कौटिल्य अर्थशास्त्र, पितृ प्रमाणाश्चत्वारः पूर्वे धर्म्याः। 3/2/10
12. अनिल कुमार मिश्र, वही
13. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 'विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वर्णानां पाणिग्रहणासिद्धमुपावर्तनम्। शूद्राणां च प्रकर्मणः। 3/15/6
14. वही, 'वर्षाण्यण्टावप्रजायमानामपुत्रा वन्ध्यां चाकांक्षेत् दशबिन्दु, द्वादश कन्याप्रसविनीम्। ततः पुत्रार्थी दिवतीयां विन्देत।' 3/2/25–26
15. वही, शुल्कस्त्रीधनमशुल्कस्त्रीधनयाशयतत्प्रमाणमाधिवेदनिकमनुरुपां च वृत्तिं दत्त्वा ब्रह्वीरपि विन्देत। पुत्रार्थ हि स्त्रियः। 3/2/27
16. वही, शङ्किकस्थाने संभाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः।
17. स्त्रीणां ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरे पंचशिफा दद्यात्। 3/3/15
18. वही, अदायादकं राजा हरेत। स्त्रीवृत्ति प्रेतकार्यवर्जमन्यत्र श्रोत्रियद्रव्यात्। 3/5/15
19. वही, चातुर्वर्ण्यपुत्राणां ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरों अशान् हरेत्ः।
20. क्षत्रियापुत्रस्त्रीनंशान्, वैश्यपुत्रो द्वावंशौ, एकं शूद्रापुत्रः। 3/6/10–14
21. वही, 'गुल्मतरदेयं ब्राह्मणं साधयतः प्रतिवेशानुवेशयोष्परि निमंत्रणे च द्वादश पणोदण्डः, चण्डालस्यार्या स्पृशतः शाक्यजीविकादीन, वृषलप्रवजितान् देवपितृकार्येषु भोजयतः शत्यो दण्डः।' 3/20/79
22. उमा चक्रवर्ती, "पितृसत्ता पर एक नोट" 'नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे' साधनाकार्य व अन्य (संपा०) (नई दिल्ली, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय : 2001), पृ० 07

***